

## प्रेस नोट दिनांक- 21.02.2021

इटावा पुलिस द्वारा अपमिश्रित अवैध शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 22 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब, 1229 क्वार्टर अवैध देशी शराब व अवैध शराब बनाने की सामग्री (कुल अनुमानित कीमत 250000) सहित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

जनपद में अवैध शराब तस्करी/निर्माण की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी भरथना महोदय के नेतृत्व में थाना बकेवर पुलिस टीम द्वारा अपमिश्रित अवैध शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 22 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब, 1229 क्वार्टर अवैध देशी शराब व अवैध शराब बनाने की सामग्री सहित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.02.2021 को थाना बकेवर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध शराब एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु क्षेत्र में गश्त की जा रही थी इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि ग्राम इन्द्रौशी में कमलेश दोहरे पुत्र तुलाराम दोहरे के मकान में करीब 3-4 लोग अवैध रूप से मिलावटी शराब बना कर क्वार्टरों में भर कर बिक्री करते हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आबकारी विभाग की टीम को साथ लेकर ग्राम इन्द्रौशी स्थित कमलेश के मकान पर दबिश दी गयी तो पुलिस टीम को मौके पर 04 व्यक्ति अवैध रूप से शराब का निर्माण करते हुए पाए गए जिनमें से एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्तों को आवश्यक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया तथा मौके से 23 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब व 02 पेटी अवैध देशी शराब कुल 1229 क्वार्टर अवैध शराब व 22 लीटर अपमिश्रित शराब, 21.50 किग्रा यूरिया व अन्य अवैध शराब बनाने व पैक करने की सामग्री बरामद की गयी। जिसकी कुल अनुमानित कीमत 250000 रुपए है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग अवैध रूप से शराब बनाने का काम करते जिसे अलग-अलग देशी व अंग्रेजी ब्रांडों की पैकिंग करके जनपद में विभिन्न स्थानों पर बिक्री हेतु सप्लाई करते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों पर पूर्व में भी जनपद के विभिन्न थानों पर कई अभियोग पंजीकृत है।

उक्त बरामदगी के संबंध में गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बकेवर मु0अ0सं0 78/2021 धारा 60(क) /63 आबकारी अधिनियम व 272 /420/467/468/471/120 B IPC पंजीकृत किया गया है।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

01. साजन उर्फ सोहित वर्मा पुत्र नरेन्द्र सिंह दोहरे निवासी ग्राम कोठी शेरपुर थाना बकेवर जनपद इटावा ।

02- सलमान अली उर्फ मन्नु पुत्र अजीज अली निवासी ग्राम कोठी शेरपुर थाना बकेवर जनपद इटावा ।

03- कमलेश दोहरे पुत्र तुलाराम निवासी ग्राम इन्द्रौसी थाना बकेवर जनपद इटावा ।

### बरामदगी -

1- 23 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब व 02 पेटी अवैध देशी शराब (कुल बरामदगी 1229 अदद क्वार्टर अवैध शराब ) ।

2- 22 लीटर अपमिश्रित अवैध शराब (कैन मे)

3- 7400 अदद प्लास्टिक के शराब के खाली क्वार्टर

4- 09 अदद खाली कैन प्लास्टिक

5- 01 अदद ड्रम बडा प्लास्टिक

6- 01 अदद ड्रम छोटा जिसमे अपमिश्रित शराब से भरा हुआ।

7- 01 अदद प्लास्टिक की बोरी मे 2150 अदद ढक्कन व 1550 अदद ढक्कन की सील

8- 01 अदद प्लास्टिक की बोरी मे 21 किलो 500 ग्राम यूरिया

9- 02 अदद टेप के बन्डल (पैकिंग करने हेतु)

10- 01 अदद प्लास्टिक की कट्टी मे केमिकल

11- 01 अदद पेटी मे शराब के खाली 48 अदद टेट्रा पैक पाउच

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1. साजन उर्फ सोहित वर्मा पुत्र नरेन्द्र सिंह दोहरे निवासी ग्राम कोठी शेरपुर थाना बकेवर

a. मु0अ0सं0 199/2020 धारा 60(1) क/72 आबकारी अधि0 व 272 /420/467/468/471/120B IPC थाना बकेवर जनपद इटावा ।

b. मु0अ0सं0 239/2020 धारा 3/25 A ACT थाना बकेवर इटावा ।

c. मु0अ0सं0 242/2020 धारा 411/420 IPC थाना बकेवर इटावा ।

d. मु0अ0सं0 222/2012 धारा 379/411 IPC थाना बकेवर इटावा ।

e. मु0अ0सं0 078/2021 धारा 60 (क) /63 आबकारी अधि0 व 272 /420/467/468/471/120B IPC थाना बकेवर जनपद इटावा ।

## 2. सलमान अली उर्फ मन्नु पुत्र अजीज अली निवासी ग्राम कोठी शेरपुर थाना बकेवर

- a. मु0अ0सं0 199/2020 धारा 60(1) क/72 आबकारी अधि0 व 272 /420/467/468/471/120B IPC थाना बकेवर जनपद इटावा ।
- b. मु0अ0सं0 240/2020 धारा 4/25 A ACT थाना बकेवर इटावा ।
- c. मु0अ0सं0 242/2020 धारा 411/420 IPC थाना बकेवर इटावा ।
- d. मु0अ0सं0 222/2012 धारा 379/411 IPC थाना बकेवर इटावा ।
- e. मु0अ0सं0 078/2021 धारा 60 (क) /63 आबकारी अधि0 व 272 /420/467/468/471/120B IPC थाना बकेवर जनपद इटावा ।

## 3. कमलेश दोहरे पुत्र तुलाराम निवासी ग्राम इन्द्रौसी थाना बकेवर

- a. मु0अ0सं0 078/2021 धारा 60 (क) /63 आबकारी अधि0 व 272 /420/467/468/471/120B IPC थाना बकेवर जनपद इटावा ।
- b. मु0अ0सं0 149/2016 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बकेवर जनपद इटावा ।
- c. मु0अ0सं0 184/2018 धारा 147/452/323/504 IPC थाना बकेवर जनपद इटावा ।

### पुलिस टीम-

श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बकेवर, उ0नि0 गंगादास गौतम, उ0नि0 चिन्तन कौशिक, का0 नरेन्द्र सिंह, का0 अरविन्द कुमार, का0 ओमवीर सिंह, का0 अवनीश कुमार, का0 अंकित चौधरी, का0 कुलदीप, का0 दर्शन सिंह, का0 ललित कुमार,

द्वितीय टीम- शिवानी सिंह आबकारी निरीक्षक, है0का0 संजय पाण्डेय आबकारी टीम

सोशल मीडिया सेल  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
इटावा।

